न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तगत बीड़ी उद्याग ।नयाजना न दय पारप्राणाम नवराष राज्य

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–1139/36–1–13–11(सा0)/05 दिनांकः 30–08–2013 तथा ⁻⁻⁻पठित शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या–1535/36–11(सा0)/05, दिनांकः 21–11–2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें जो मासिक की आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986–87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 654 अंक के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 तक के औसत अंक 1118 अंको पर दिनांकः 1–04–2023 से दिनांकः 30–9–2023 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगा।

का अवाध हतु पारपतनाय नहनाइ नरता प्र पृष्ठात पर माने नाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1164 दृष्टान्तः—रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1164 पर दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहनाई भत्ता निम्नलिखित होगाः—

(1164 - 654)

654 कमॉक	श्रेणी	मूल र मजदूरी र	दिनांकः 1.10.2022 से दिनांकः 31.3.2023 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 तक	
		क्तपर्य में		रूपय न दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9. 2023 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) (3+5)	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में) (1/26)
-	2	3	4	5	6	7
1		4550.00	7525	3548	8098	311
1	अकुशल	5200.00	8600	4055	9255	356
2	अर्द्व—कुशल				11035	424
3	कुशल–क	6200.00	10254	4835	2013 के बिन्द-	

अधिसूचना संख्या–1130/छत्तीस–1–13–11(सा0)/05 दिनांकः 30 अगस्त 2013 के बिन्दु– 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यो के लिये नियत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांकः से एक वर्ष के पश्चात बढ जायेगीं। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांकः 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक निम्न प्रकार है:–

कमॉक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांक: 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक देय			
	बीड़ी रोलिंग के कार्य में चिट लगाने का कार्य में	मात्रानुपाती दरें। 158 रूपये प्रति हजार 15.22 प्रति हजार बीड़ी	ाये प्रति हजार ति हजार बीडी		
2 3	एक लाख बीड़ी / एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोड़ा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु	एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने हेतु		
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रूपया ३५८	रूपया 3.58 रूपया 3.67		
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रूपया 367 रूपया 412	रूपया 4.12		
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रूपया 473 रूपया 552	रूपया 4.73 रूपया 5.52		
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रूपया 667	रूपय 6.67 रूपया 7. 4 2		
	जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रूपया 742	67.4.20		

(अजय कुमोर मिश्रा) उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।

प्रवर्तन-(एम०डब्लू०)/15

- 2 अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली <u>ई-मेलwagecell@nic.in</u> के माध्यम से
- 4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।

संख्या 10-17

- 6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट <u>www.uplabour.gov.in</u> पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थू।

(अजय कुमार मिश्रा) उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 3 1/ 2023

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

इस कार्यालय के पत्र संख्या-10-17 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांकः 03-04-2023 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 के स्थान पर 654 अंक के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 तक के औसत अंक 1118 अंको पर दिनांक: 1-04-2023 से दिनांक: 30-9-2023 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भॉति गणना करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्गत हो गया है।

उक्त आगणन में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 पर जारी किया जा रहा है। उक्त आगणन इसी सीमा तक संशोधित समझा जाए।

दृष्टान्तः-रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1164 पर दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगाः-

(1164 - 676)

----X 4550=3285 प्रतिमाह

676

कमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह	दिनांकः 1.10.2022	प्रतिमाह	दिनांकः 1.04.2023	से दिनांकः
		मूल	से दिनांक: 31.3.2023	परिवर्तनीय	30.9.2023 तक	
		मजदूरी	तक	महंगाई भत्ता		
		रुपये में	रूपये में		1 1 2	
				दिनांकः 1.04.2023	प्रतिमाह कुल	दैनिकमजदूरी
				से दिनांक: 30.9.	मजदूरी	दरें,(रूपये में)
				2023	दरें, (रूपये में)	(1/26)
				तक	(3+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550	7525	3285	7835	299
2	अर्द्र–कुशल	5200	8600	3754	8954	344
3	कुशल–क	6200	10254	4476	10676	411

अधिसूचना संख्या—1130/छत्तीस—1--13—11(सा0)/05 दिनांकः 30 अगस्त 2013 के बिन्दु— 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यो के लिये नियंत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांकः से एक वर्ष के पश्चात बढ जायेगीं। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांकः 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक निम्न प्रकार है:-

कमॉक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांकः 30 अगस्त 2022 से : मात्रानुपाती दरें।	29 अगस्त 2023 तक देय	
1	बीड़ी रोलिंग के कार्य में	158 रूपये प्रति हजार		
2	चिट लगाने का कार्य में	15.22 प्रति हजार बीड़ी		
3	एक लाख बीड़ी/एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोड़ा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु	एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने हेतु	
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रूपया 358	रूपया 3.58	
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों	रूपया 367	रूपया 3.67	
	जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रूपया 412	रूपया 4.12	
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों	रूपया 473	रूपया 4.73	
	जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रूपया 552	रूपया 5.52	
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रूपया 667	रूपय 6.67	
	जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रूपया 742	रूपया 7.42	

(अजय कुमार मिश्रा) उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। कते श्रम आरातन जन्तर प्रदेश। कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या - 244-51 प्रवर्तन-(एम०डब्लू०)/15 दिनांक: 16/05/2023

प्रतिलिपि

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराए।
- अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ। 2
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के 3 माध्यम से
- अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ। 4
- ह उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित 6 कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित। 7
- आ हिमाशु कुमार, पुरतपरावाय्यवा, गुज्याराय का जागरावाय सामान समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क किशशनार्थ। (अजय कुमार मिश्रा) 8

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश। कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2